न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 21 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. बालुराम उर्फ बालाराम पुत्र श्री कृपाराम उर्फ किरपाराम जाति दर्जी, निवासी बलाऊ सासण, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.चैनसिंह पुत्र किशनसिंह
2.भवानीसिंह पुत्र हरीसिंह जातियान राजपुरोहित, निवासीगण बलाऊ जाटी तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

1.उदाराम पुत्र देवाराम जी,
2.पदमा पुत्र देवाराम जी
3.धर्मा पुत्र देवाराम जी
4.मूला पुत्र खींयाराम जातियान दर्जी, निवासीगण बलाऊ सासण तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
5.स्वरूप पुत्र ईशरा
6.अमरा पुत्र चुना
7.गंगा पुत्र चुना
8.खेराज पुत्र चौखा
9.मला पुत्र चौखा
10.धरमा पुत्र चौखा
11.दमा पुत्र रूपा
12.पुरखा पुत्र देवा
13.दुर्गा पुत्र चौखा
14.हड़मान पुत्र कालु
15.अणदा पुत्र कालु
16.मोटा पुत्र कालु
17.कमला पत्नी कालू सभी जातियान जाट रेस्पोडेंट संख्या 14, 15, 16 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कमला पत्नी कालु
18.घेंवर पुत्र खीमा
19.वाला पुत्र पाबुराम दर्जी
20.मूल पुत्र कुम्भा जांट सभी निवासीगण बलाउ जाटी तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
21.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के मुकदमा संख्या 58 / 2014 बअनवान चैनसिंह वगैरा बनाम उदाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 03.07.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पूर्व में भी एक आदेश पारित किया गया था जिसमे अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर अपीलार्थी को पक्षकार बना कर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के आदेश पर कोई गौर नहीं फरमाया तथा पक्षकार नहीं बनाया। अपीलार्थी पक्षकार नहीं होने के बावजूद भी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जबाव पेश कर दिया था। अपीलार्थी को नुकशान पहुंचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलार्थी आवश्यक पक्षकार था। कानूनन यह तय सुदा सिद्धांत है कि जहां आवागमन हेतु पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजुद हो तो फिर नया रास्ता उपलबध नहीं करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच ही नहीं की। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पूर्व में भी एक आदेश पारित किया गया था जिसमे अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर अपीलार्थी को पक्षकार बना कर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के आदेश पर कोई गौर नहीं फरमाया तथा पक्षकार नहीं बनाया। अपीलार्थी पक्षकार नहीं होने के बावजूद भी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जबाव पेश कर दिया था। अपीलार्थी को नुकशान पहुंचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलार्थी आवश्यक पक्षकार था। कानूनन यह तय सुदा सिद्धांत है कि जहां आवागमन हेतु पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजुद हो तो फिर नया रास्ता उपलबध नहीं करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच ही नहीं की। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि मौका रिपोर्ट (दिनांक 16.12.2015) में रास्ते का मकसद श्मशासन घाट तक पहुंच लिखा है जो विधि सम्मत उद्देश्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश जिस मौका फर्द के अवलोकन पश्चात दिया गया है उसमें रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना तथा न्यूनतम दूरी वाला अन्य कोई विकल्प नहीं है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण के खेत एवं आवासों तक इसी मौका फर्द अनुसार निर्मित ग्रेवल सड़क के रूप में विकल्प विद्यमान होना स्पष्ट है। प्रार्थीगण के रास्ते बाबत प्रस्तुत निर्धारित आवेदन पत्र में उल्लिखित खसरा नंबरों के अतिरिक्त भी खसरे जोड़े जोकर अनावश्यक रूप से रास्ते को लम्बी दूरी का बनाया गया है। इन खेतों के समस्त सह काश्तकारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है फिर भी उनके विरूद्ध निर्णय दे दिया गया है। प्रस्तावित और निर्णय से प्रदत्त रास्ते के अलावा एक अन्य न्यूनतम दूरी का विकल्प भी पास के ग्राम बलाऊ सांसण से गुजरने वाले गैर मुमकिन रास्ता (संलग्न नक्शा पी. 35 क्रमांक 1703 दिनांक 04.06.2014) तक विद्यमान था, जो प्रार्थीगणों को ग्राम की आबादी खसरा संख्या 62 से जोड़ता है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय से प्रदत्त रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तियुक्त नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के मुकदमा संख्या 58/2014 बअनवान चैनसिंह वगैरा बनाम उदाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 को अपास्त किया जाता है।

03/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner